राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(6)नविवि/फलौदी/2024–08216 **जयपुर,दिनांकःयथा हस्ताक्षरित**

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) संपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 में सम्मिलित राजस्व ग्राम लोर्डिया में से नये राजस्व ग्राम कचौलिया नाडा एवं कोटेचो की ढाणी विभाजित होकर सृजित हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 में संशोधन करते हुए फलौदी के नगरीय क्षेत्र में पूर्व में सम्मिलित 8 राजस्व ग्राम की सूची में क्रम संख्या 9 एवं 10 पर निम्नानुसार राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते है।

क्र.सं.	**ग्राम का नाम (हिन्दी में)**	**ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)**	**तहसील का नाम**
9.	कचौलिया नाडा	KACHOLIYA NADA	फलौदी
10.	कोटेचो की ढाणी	KOTECHO KI DHANI	फलौदी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, फलौदी।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी।
10. सहायक निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :08-06-2026 05:19:45

RajKaj Ref No.:
22681854